1	विभाग–	श्रम विभाग
2	योजना का नाम –	**मातृत्व हितलाभ योजना**
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	❖ लाभार्थी महिला कर्मकार के संस्थागत प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं संस्थागत प्रसव सत्यापित हो जाने की दशा मे सम्बन्धित महिला कर्मकार को मातृत्व हितलाभ के रूप मे उसकी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से 3 माह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी। ❖ यदि लाभार्थी महिला श्रमिक प्रसव के पूर्व तीन आवश्यक चिकित्सकीय जांच करा लेती है तो संस्थागत प्रसव के पूर्व आवेदन करने पर भी हितलाभ दिया जा सकता है। ❖ महिला निर्माण श्रमिक को उपरोक्त के अतिरिक्त रू 1000 की धनराशि चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगी। ❖ महिला निर्माण श्रमिक के गर्भपात होने की दशा में उसे उसके 6 सप्ताह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी परन्तु दो बच्चों के जन्म के उपरान्त गर्भपात कराये जाने पर यह हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा। ❖ यदि महिला श्रमिक का नसबंदी आपरेशन होता है तो उसे उसके 2 सप्ताह के वेतन के बराबर धनराशि देय होगी। ❖ पुरूष कर्मकार की पत्नी को संस्थागत प्रसव की स्थिति मे ही रू 6000 का हितलाभ का अनुदान दो किश्तों में दिया जायेगा। ❖ आवेदन पत्र के साथ चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रसव प्रमाण पत्र (प्रसव के मामले में) तथा अन्य मामलों (गर्भपात या नसबंदी) में चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ❖ लाभार्थी महिला कामगार को संस्थागत प्रसव न होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई धनराशि देय नहीं होगी। ❖ लाभार्थी महिला श्रमिक यदि प्रसव के पूर्व तीन आवश्यक चिकित्सकीय जांच कराकर प्रसव के पूर्व रिपोर्ट सहित आवेदन करती है तो धनराशि का भुगतान प्रसव के पश्चात ही किया जायेगा।
4	पात्रता की अर्हता–	पंजीकृत महिला कर्मकारों को प्रथम 02 प्रसवों में देय
5	आवेदन की प्रक्रिया–	प्रसव के एक वर्ष के अन्दर जन्म/प्रसव प्रमाण–पत्र के साथ 02 प्रतियों में आवेदन करना है
6	लिंक वेबसाईट	http://upbocw.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।